

Form - 27

(See Rule 54)

Application for assignment of new registration mark on removal of a motor vehicle to another state.

(To be made in duplicate if the vehicle is held under an agreement of hire purchase/lease/hypothecation and the duplicate copy with the endorsement of the Registering Authority to be returned to the financier simultaneously, on the assignment of a new registration marks)

To,
The Registering Authority,

I/We _____ son/wife/daughter
of _____ being the registered owner of
Motor Vehicle NO. _____ bearing chassis No. _____
Engine No. _____ type of vehicle _____ registered
in the State of _____ hereby declare that I / We have, since the _____
day of _____ kept the said Motor Vehicle in this State and hereby apply
for the assignment of a New Registration Mark to the said motor vehicle.

I/We, hereby declare that the registration is valid upto _____
and it has not been suspended or cancelled under the provisions of this Act.

I/We enclosed the certificate of Registration and the Certificate of fitness (*) of this Motor
vehicle.

I/We enclose a "No Objection Certificate" from the Registering Authority.

If the "No Objection Certificate" form the Registering Authority is not enclosed the applicant
should file along with this application a declaration as required under the first proviso to sub section
(1) of section 47.

* The vehicle is not subject to an agreement of hire-purchase/lease/hypothecation.

* The vehicle is subject to an agreement of hire-purchase/lease/hypothecation with
_____ and I/We enclose the NOC received from financier.

If "No Objection Certificate" form the financier is not enclosed, the applicant should fill
along with the application a declaration as required under sub-section (8) of section 51.

Date : _____ Signature or Thumb impression
of the applicant

* ~~Strike out whichever is inapplicable.~~

OFFICE ENDORSEMENT

Number _____ Date _____ Office of the _____

The Vehicle No. _____ on removal to this State has been
assigned a new registration mark _____
(here enter the registration mark)

and _____ (date)

Registering Authority

To,
The Name and address of the Financier.
By Registered Post or delivered under proper acknowledgment.

प्रपत्र - २७

(नियम ५४ देखें)

दूसरे राज्य के लिए मोटर वाहन के निष्कासन पर
नये नामांकन अंक के आवंटन हेतु आवेदन ।

यदि वाहन, भाडा-क्रय/पट्टा/बन्धक के करार के अन्तर्गत लिया गया है तो सभी दूसरी प्रति दी जाय तथा दूसरी प्रति पंजीयत प्राधिकारी के मंजूरी के साथ नये नामांकन अंक के आवंटन के लिए एक ही समय पर वित्त-दाता को लौटा दी जाए ।

सेवामें,
पंजीयन प्राधिकारी,

मैं/हम _____ पुत्र/पत्नी/ पुत्री _____

_____ अपने नाम से मोटर वाहन नं. _____

चेसिस सं. _____ इंजिन सं. _____ श्रेणी _____

के वाहन का _____ राज्य के लिए पंजीयन कराते हुए एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मैं/हम राज्यमें उपयुक्त वाहन को _____ दिनों तक पास रखा तथा उपयुक्त वाहन को नये नामांकन अंक के लिए आवेदन करता हूँ ।

मैं/हम एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि पंजीयन कि वैधता दिनांक _____ तक है एवं अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत यह निलंबित/निरस्त नहीं किया गया है ।

मैं/हम इस मोटर वाहन की योग्यता प्रमाण पत्र/ एवं पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करता हूँ ।

मैं/हम पंजीयन प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनापति प्रमाण पत्र को संलग्न करता हूँ ।

यदि पंजीयन प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र संलग्न नहीं किया गया, तो आवेदक द्वारा आवेदन करने के साथ धारा २७ की उपधारा (१) के प्रथम उपबंध (शर्त) के अन्तर्गत अपेक्षित घोषणा की जानी होगी ।

वाहन, क्रय-भाडा/पट्टा/ बन्धक के करार का विषय नहीं है ।

वाहन, क्रय-भाडा/पट्टा/ बन्धक के करार का विषय है और मैं/हम वित्त दाता से प्राप्त अनापति प्रमाण पत्र को संलग्न करता हूँ ।

यदि वित्त दाता द्वारा प्रदत्त अनापति प्रमाण पत्र का संलग्न नहीं किया गया तो आवेदक को इस आवेदन के साथ धारा-५१ की उपधारा (८) के अन्तर्गत अपेक्षित घोषणा करनी होगी ।

दिनांक : _____

आवेदक का हस्ताक्षर या
अंगूठे का निशान

जो लागू नहीं है उसे काट दें ।

कार्यालय - पृष्ठांकन

संख्या _____ दिनांक : _____ कार्यालय : _____

इस राज्य से वाहन संख्या _____

के निष्कासन पर पंजीयन अंक _____

एवं दिनांक _____

आवंटित किया

(यहां पंजीयन अंक दर्ज करें)
गया हैं ।

सेवामें,

पंजीयन प्राधिकारी

वित्त दाता का नाम व पता

पंजीकृत डाक द्वारा अथवा उचित पावती के अन्तर्गत वित्तता ।